प्राक्कथन

कोषागार, राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामले में, सामान्य रूप में और सरकारी लेन–देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार, निकासी, संवितरण अधिकारी एवं वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है साथ ही साथ लेखा एवं लेन–देन से सम्बन्धित मानक और नियम के अनुसार वित्तीय लेन–देन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की है। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन प्रतिकूल वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के मैनुअल स्थायी आदेश (लेखा एंव हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 और दिये गये प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड का 2015-16 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया है तथा मैं यह आशा करता हूँ कि यह समीक्षा रिपोर्ट कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने में एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।

–ह0–
(अशोक सिन्हा)
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
उत्तराखण्ड,

देहरादून
दिनांकः 15.07.2016
देहरादून।

मुख्य अंश

1	कोषागार अतंरापृष्ठीय (Treasury Interface) के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियाँ एवं विसंगतियाँ	(पैरा 2.1)
2	आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्ति और भुगतान के आंकडों का मिलान-Non Reconciliation	(पैरा 2.3)
3	₹ 3.60 करोड़ के असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्र का अस्तित्व	(पैरा 2.4)
4	कोषागारों से ₹ 1.49 करोड़ के वांछित (wanted) वाउचर्स	(पैरा 2.5)
5	₹ 315.68 करोड के अनुपयोगी (unspent) पी0एल0ए0 राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नहीं करना	(पैरा 2.9)
6	अनाधिकृत लेखाशीर्षक का संचालन	(पैरा 3.3.1)
7	धनराशि ₹ 3.82 करोड की मूल्य वर्धित कर (VAT) राशि का गलत लघु–शीर्ष में लेंखाकन	(पैरा 3.3.2)
8	नई पेंशन योजना (NPS-2005) के अर्न्तगत Employers contribution के रूप में जमा किये गये अंशदान ₹ 177.95 करोड के गलत लेखा शीर्ष से debit करना	(पैरा 3.3.3)
9	TR-24 से आहरित वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 की राशि क्रमशः ₹4,34,91,000/- तथा ₹ 2,58,31,782/- का समायोजन न किया जाना	(पैरा 3.3.4)
10	e-भुगतान प्रणाली में Failed-Transaction को पुनः upload करने में विलम्ब	(पैरा 3.3.5)
11	e-भुगतान प्रणाली Failed Transactions के कारणवश लाभार्थियों को लाभ से वांछित रखना	(पैरा 3.3.6)
12	कोषागार द्वारा उपलब्ध साख सीमा से ₹ 14.92 करोड अधिक व्यय अभिलेखों में दर्शाया जाना	(पैरा 3.3.6)
13	त्रैमासिक नगद साख सीमा के उपयोग अवधि के अनुचित विस्तार से वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में ₹ 1.26 करोड की अनियंत्रित धन निकासी (Rush of Expenditure)	(पैरा 3.3.7)
14	पी0एल0ए0 खातो से ₹ 26.37 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी	(पैरा 3.3.9)
15	पी0एल0ए0 खातों में जमा धनराशियों ₹ 104.30 करोड का अनावश्यक अवरुद्ध रहना	(पैरा 3.3.10)
16	प्राप्तियों की अनुसूची (SOR) में 15 अंकीय वर्गीकरण का अंकन न होने से सम्बन्धित विवरण	(पैरा 3.3.11)
17	धनराशि ₹ 56,500/- का अनियमित (Irregular) व्यय	(पैरा 3.3.13)
18	वेतन मद के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष– Adverse Balance	(पैरा 3.3.16)
19	अनियमित बजट आवंटन/अवमुक्त	(पैरा 3.3.19)
20	निर्माण कार्य सस्थाओं के प्रेषण शीर्ष से सम्बन्धित धनराशियों का गलत वर्गीकरण	(पैरा 3.3.21)
21	उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान	(पैरा 3.4.1)
22	MLA पेंशन ₹56,000/- का त्रुटिपूर्ण अधिक भुगतान	(पैरा 3.4.6)
23	₹ 5.15 लाख के मूल्य के बैंक ड्राफ्टस को विलम्ब से शासकीय खातों में जमा करना	(पैरा 3.4.7)
24	स्त्रोत पर आयकर ₹19.95 लाख की कटौती का न किया जाना	(पैरा 3.4.8)
25	जमाशीर्ष में ₹ 3.91 करोड की जमा धनराशि को व्यपगत नहीं किया जाना।	(पैरा 3.5.1)
26	जमा शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष	(पैरा 3.5.2)

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2015-16

''भाग-1 : प्रस्तावना''

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग-4(2) के अनुसार **उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार, निदेशक कोषागार** उत्तराखण्ड के नियंत्रण में हैं। मण्डल/जिला स्तर पर कोषागार/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एंव भुगतान पर नियंत्रण रखने के उददे्श्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार, कोषाधिकारी एवं उपकोषागार, उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते है। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड को प्रेषित करते है।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटीकृत एवं आनलाईन करते हुये 66 उपकोषागारों में कोषागार की भांति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन–देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी है तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

1.2 संरचना/संगठन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2015-16 में कुल 18 कोषागार एवं 66 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिग के रूप में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक साईबर ट्रेजरी देहरादून में एवं भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड (P.A.O.) नई दिल्ली में कार्यरत है।

(परिशिष्ट-01)

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागरों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को 2013-14 से समाप्त किया गया। यहाँ स्थापित डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु बैंको में प्रयोग की जाने वाले दो चाबी वाले सेफ के माध्यम से किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जायेगा। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक कक्ष एवं सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुबलीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जायेगा।

1.3.1 राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों में से 18 कोषागारों, 33 उपकोषागारों का निरीक्षण वर्ष 2015-16 में किया गया।

1.3.2 कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल से काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग 36.82 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षो की स्थिति निम्न प्रकार है–

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2013-14	888	558	330	37
2014-15	888	555	333	38
2015-16	888	561	327	36.82

निदेशालय कोषागार की सूचना अनुसार वर्ग 'ग' को छोडकर अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारी कम्प्यूटर कार्य कौशल है। जनपद कोषागारों एवं उपकोषागारों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रशिक्षण सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों के आँकड़े निम्नवार हैंः–

वर्ष	कार्यरत	प्रशिक्षित	प्रशिक्षण का प्रतिशत की दर
2013-14	558	476	85
2014-15	555	473	85
2015-16	561	479	85.38

"भाग-2 : लेखा विसंगतियाँ"

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियाँ/विसंगतियाँ

2.1 कोषागार अतंरापृष्ठीय (Treasury Interface) की प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन निम्न उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था।

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलैक्ट्रोनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (NIL payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की पुनः प्राप्ति।

Treasury Interface से प्राप्त लेखों में निम्न कमियाँ/विसंगतियाँ पायी गयी

2.1.1 Header और Detail में अन्तर--ई–कोश, ई–मेल और कोषागारों से सीडी या पैन ड्राईव से प्राप्त हो रहे डाटा में हेडर और डिटेल में वाउचरों की संख्या समान न होने के कारण इन्टरफेस में डाटा नहीं खुल पाता है।

2.1.2 मुख्य लेखाशीर्ष 8000 राज्य आकस्मिकता निधि और 7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज का सहायक शीर्ष (कनेक्टिंग हेड) HO2 इन्टरफेस से नहीं खुलता है। इन लेखाशीर्षों की डाटा फीडिंग अभी भी मैनुअल (हाथ से) करनी पड़ती है। वाउचर की Hard Copy में वेतन देयक से भिन्न अन्य देयक 'ख' के अन्तर्गत Object Head 01 वेतन वाले वाउचर में कनेक्टिंग हेड का वर्गीकरण अंकित नहीं पाया जाता है। साथ–साथ मद–मानदेय (07) को भी मद वेतन (01) के रूप में अंकित किया जाता है।

2.1.3 मुख्य लेखाशीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज का अनुदान संख्या-7 को (एक अंक) में दर्शाता है। जो कि 07 (दो अंकों) में खुलना चाहिए। मुख्य लेखाशीर्ष तथा 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय की अनुदान संख्या भी इन्टफेस से गलत खुलती है।

2.1.4 ए0सी0 बिल/ डी0सी0 बिल पर ए0सी0 बिल/डी0सी0 बिल स्पष्ट रूप में अंकित नहीं पाया जाता है। जिसके कारण वाउचर के पुस्तांकन में कठिनाई होती है तथा मासिक लेखों की शुद्वता भी प्रभावित होती है। तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5, भाग-2 के पैरा 249 व 162 का उल्लेख कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित नही होता है।

2.1.5 कोषागारों से प्राप्त हुए कुछ वाउचरों में आयोजनागत/आयोजनेत्तर तथा मतदेय/भारित का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है।

2.1.6 अधिकतर कोषागारों से प्राप्त वाउचरों के बन्डल रोल किये हुए होते है जिससे बन्डलों को खोलने में वाउचरों के कटने की पूर्ण सम्भावना रहती है। अतः वाउचरों को भली–भांति बिना रोल किये लिफाफे आदि में सुरक्षित भेजा जाए।

2.1.7 वेतन सम्बन्धित वाउचर और अन्य मदों के वाउचर पूर्णतः अलग–अलग क्रम से होने चाहिए जिससे पुस्तांकन में त्रुटि न हो।

2.1.8 मुख्य लेखाशीर्ष 2049-ब्याज अदायगियाँ एंव 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के डी0डी0ओ0 को वाउचर पर अंकित डी0डी0ओ0 कोड से भिन्न कोड पर खुलते है, तथा सम्बन्धित अनुदान संख्या भी वाउचर पर अंकित अनुदान संख्या से भिन्न खुलती है।

2.1.9 आंशिक कोषागारों से मासिक लेखों में वाउचर या तो पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं या भिन्न मुख्य लेखाशीर्ष में पाये जाते है जिससे ऐसे वाउचर

की मासिक लेखा में उच्चन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकन की सम्भावना बनी रहती हैं, जिससे मासिक लेखों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

2.1.10 मुख्य लेखाशीर्ष 2075 विविध सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के मूल बजट में कोई प्रावधान नही किया गया। जिसके आभाव में पूरक बजट पारित होने तक ऐसी धन राशियाँ उच्चन्त लेखें में अनावश्यक लम्बित पड़ी रही।

उल्लेखनीय है कि उक्त मुख्य लेखाशीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मूल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा सम्बन्धित कोषागार द्वारा इंगित मदों में बिल पारित किये गये है, जो बिल पारण की वित्तीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। बिल पारित करते समय कोषाधिकारियों द्वारा बिल पारण के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों और शासनादेशों की अनुपालना होनी चाहिए। ऐसी धनराशि या उच्चन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत/अनावश्यक असमायोजित पडी रहती है तथा लेखाओं पर विपरीत प्रभाव पडता है।

परन्तु वर्ष 2015-16 के लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान कोषागार अतंरापृष्ठीय से सम्बन्धित निम्न कमियाँ/विसंगतियाँ प्रकाश में आयी हैं जिनका सुधार यदि इस कार्यालय द्वारा मैनुअली नहीं किया जाता तो ऐसी कमियों का निश्चित रूप से लेखों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता।

2.2 सहायक अनुदान एवं त्रैमासिक आय–व्यय से सम्बन्धित कमियाँ एवं विसंगतियाँ

- सहायक अनुदान के वाउचर की भी अलग से कोई पहचान नही होती है, एवं उनमें योजनागत/आयोजनागत मदों का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं होता है। जिससे की उनकी पहचान कर सही लेखांकन के साथ उचित रख–रखाव हो सके।
- किसी माह में समान धनराशि के एक से अधिक वाउचरों द्वारा धनराशि का आहरण दर्शाया जाता है तथा बाद में बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई एक वाउचर द्वारा ही विभाग द्वारा व्यय है।
- कोषागार द्वारा मानक मद 51 (महंगाई वेतन) में वाउचर आहरित किये जाते हैं जबकि बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह सूचना प्रेषित की जाती है कि सम्बन्धित मानक मद वर्तमान में बन्द है।
- विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2015-16 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता तो उसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पडता। लेखा संशोधन का विवरण **परिशिष्ट-02** में दर्शाया गया है।

2.3 आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्ति और भुगतान के आंकडों का मिलान

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आँकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2015-16 के लेखा संकलन की प्रकिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण

एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या तो मिलान आंशिक रूप से कराया गया।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारी/ विभागाध्यक्षों के वित्तीय वर्ष 2015-16 में मिलान आख्या निम्नानुसार है:

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीय त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	05	43	5	26	6	26	9	34
आंशिक मिलान	18	7	7	10	7	15	4	17
मिलान नहीं कराया	25	12	36	26	35	21	35	11
कुल	**48**	**62**	**48**	**62**	**48**	**62**	48	62
मिलान आख्या (%में)	**47.91**	**80.64**	**25**	**58.06**	**27.08**	**66.12**	**27.08**	**83.25**

- वित्तीय वर्ष 2015-16 मे चतुर्थ त्रैमास तक मिलान नही कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट-03** में दर्शायी गयाी है।

2.4 3.60 करोड़ के असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्र का अस्तित्व

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से अदृष्य व्यय हेतु सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिये प्राधिकृत हैं एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब वाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के एक माह के भीतर महालेखाकार कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। **मई 2016 तक के ₹ 3.60 करोड़** के डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त है। विलम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किये गये व्यय को अपारदर्शी बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिये गए

(राशि करोड़ में)

वर्ष	आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी		विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्रस्तुति		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2013-14	1454	112.23	1432	110.93	22	1.30
2014-15	84	4.33	72	2.84	12	1.49
2015-16	28	1.04	18	0.23	10	0.81
कुल	**1566**	**117.60**	**1522**	**114**	**44**	**3.60**

2.5 कोषागारों से ₹ 1.49 करोड़ के वांछित (wanted) वाउचर्स

मार्च, 2016 के अन्त तक ₹ 1.49 करोड़ के वाउचर्स (वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि तक) कोषागारों से मासिक लेखों के साथ प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण उक्त राशि आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखाशीर्ष के व्यय पक्ष में असमायोजित पड़ी रही। शासन एवं निदेशक कोषागार का सम्बन्धित कोषागारों को वाउचर्स अथवा भुगतान का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत करने हेतु लिखा गया है। कोषागारों को बार–बार लिखने के उपरान्त भी इन धनराशियों के डुप्लीकेट वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये।

(परिशिष्ट-04)

2.6 मुख्य लेखाशीर्ष 7610 ऋण एवं अग्रिम के अपूर्ण वसूली अनुसूचियों (Recovery Schedules) के सम्बन्ध में

मुख्य लेखाशीर्ष 7610 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत अग्रिम/मोटर वाहन अग्रिम/स्कूटर अग्रिम/कम्प्यूटर अग्रिम आदि स्वीकृत किये जाते है। उक्त अग्रिमों के सापेक्ष मूलधन एवं ब्याज की वसूली प्रत्येक माह सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा उनके वेतन से की जाती है। इसके उपरान्त राज्य के सभी कोषागारों द्वारा प्रत्येक माह मुख्य लेखाशीर्षक 7610 के अन्तर्गत प्राप्ति लेखों को इस कार्यालय में प्रेषित किये जाते है। जिनके साथ ऋणियों से वसूली का कर्मचारीवार अनुसूचियाँ (Recovery Schedules) भी प्रेषित की जाती है। उक्त अनुसूचियों द्वारा इस कार्यालय के सम्बन्धित विभागों के लेखाशीर्ष वार ब्राडशीट में अनुसूचियों से प्रविष्टि की जाती है तथा ऋणियों के लेखाओं का रखरखाव किया जाता है। वर्ष के अन्त में ऋण–अवशेष का ब्यौरा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है।

परन्तु कुछ कोषागारों (निम्नानुसार सूची के अनुसार) द्वारा विभिन्न माहों में 7610 के अन्तर्गत प्राप्ति लेखे के साथ कर्मचारीवार अनुसूचियाँ (Loanee wise Recovery Schedules) इस कार्यालय को वित्त वर्ष 2015-16 में प्रेषित नहीं किये गये है, जिनके अभाव में इस कार्यालय के मुख्य लेखाशीर्ष 7610 के अन्तर्गत ऋणी से मूलधन/ब्याज की वसूली की धनराशि को कर्मचारी के ऋण खाते की ब्राडशीट में अंकित करना सम्भव नही हो पा रहा है तथा वार्षिक अवशेष प्रेषित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

(परिशिष्ट-05)

2.7 कोषागार से मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को समय पर प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। उसी प्रकार समस्त कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार में समय से प्रेषित करने का उत्तरदायित्व कोषाधिकारियों का है। लेखे की प्रथम सूची उसी माह की 13 से 17 तारीख तक तथा द्वितीय सूची अगले माह की 5 से 8 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 में कुल 240 (20 कोषागार X 12 मास) मासिक लेखों को प्राप्त करके लेखांकन किया गया। वर्ष 2015-16 में कोषागारों द्वारा **02** से **66** दिन तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये। विलम्ब का मुख्य कारण उत्तराखण्ड राज्य में कोषागार कर्मचारियों द्वारा 45 दिनों का राज्य व्यापक हड़ताल रहा हैं।

(कोषागारों से लेखे देर से प्राप्त होने पर निर्धारित समय अवधि में लेखों का संकलन नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप शासन को मासिक लेखे प्रेषित करने में विलम्ब होता है।)

(परिशिष्ट-06)

2.8 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ

कोषागारों से प्राप्त आर0बी0डी0 के विवरण के साथ कोषागार/उपकोषागार के वी0डी0एम0एस0 संलग्न नहीं पाए जाते है ।

- विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों के मासिक लेखों एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ पाई जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान धनराशियों में पायी गई भिन्नताएँ निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार	माह	धनराशि
1.	नैनीताल	मई 15	100000.00 Dr.
2.	विकास नगर	दिसम्बर 15	156018.00 Cr.
3.	उत्तरकाशी	जनवरी 16	425.00 Cr.
4.	त्यूनी	फरवरी 16	122.00 Dr.
5.	रोशनाबाद, हरिद्वार	फरवरी 16	84731.00 Dr.
6.	भुगतान एवं लेखा कार्यालय	फरवरी 16	89144.00 Dr.

2.9 ₹ 315.68 करोड के अनुपयोगी (unspent) पी0एल0ए0 राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नही करना

वैयक्तिक लेखों खातों से सम्बन्धित नियमावली के अनुसार सरकारी विभागों के वैयक्तिक लेखे खातें मुख्य लेखा शीर्षक–8443 सिविल जमा के अधीन लघु शीर्षक–106 निजी जमा के अन्तर्गत खोले जाते हैं। तथा वित्तीय वर्ष के अन्त तक उक्त खातों में बची अवशेष राशि को शासकीय खातों में अभ्यर्पण कराना आवश्यक हैं। अतः उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सरकारी विभागों के पी0एल0ए0 धारकों से यह अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में (31 मार्च) अवशेष/अनुपयोगी राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण सुनिश्चित करायें। लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न पी0एल0ए0 धारकों द्वारा उक्त नियम का पालन नही करतें हुए विभागी पी0एल0ए0 खातों में वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुपयागी/अवशेष राशि को शासकीय खातों में अभ्यर्पण नही कराया गया हैं।

(परिशिष्ट-07)

''भाग-3 : कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ''

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें

3.1 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम 1971 के भाग–18 के तहत महालेखाकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में समस्त कोषागारों/ उपकोषागारों का निरीक्षण लेखा परिक्षण नियमावली के अनुसार किया जाता है।

निरीक्षण दलों द्वारा वर्ष 2015-16 में 18 कोषागारों 33 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। कोषागार निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कोषागारों/उप–कोषागारों की कार्यप्रणाली में नियमों/ प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। वर्ष 2015-16 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण (**परिशिष्ट-08**) में दर्शाया गया है।

अनुशंसाः– निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2015-16 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति निम्नानुसार हैः

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2015-16	**137**	**795**
वर्ष के दौरान निरीक्षण	51	435
वर्ष के दौरान निस्तारण	82	687
वर्ष के अन्त में शेष	**106**	**543**

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तरों का तीन वर्षों का विवरणः–

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
2013-14 तक	34	43
2014-15	25	96
2015-16	47	404
योग	**106**	**543**

3.2 लम्बित प्रस्तरों के निस्तारण हेतु माह जून 2015, सितम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2015 में क्रमशः पौड़ी, लैन्सडाउन एवं नरेन्द्रनगर, उधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में तीन स्थल विचार विमर्श आयोजित किये गये जिसमें निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, सम्बन्धित कोषाधिकारियों/ उपकोषाधिकारियों तथा इस कार्यालय के अधिकारियों ने उपमहालेखाकार (लेखा) की अध्यक्षता में भाग लिया जिसके फलस्वरूप जिला पौड़ी, लैन्सडाउन, नरेन्द्रनगर, उधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में स्थापित कोषागारों एवं उपकोषागारों से सम्बन्धित लम्बित **43** निरीक्षण आख्यायें एवं **274** प्रस्तरों एवं **65** नमूना/सम्पूरक नमूना जांच टिप्पणियों का निस्तारण किया गया।

(परिशिष्ट-09)

3.3 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.3.1 अनाधिकृत लेखाशीर्षक का संचालन

निर्धारित नियम अनुसार लेखाशीर्ष 1601 के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से विभिन्न योजनाओं हेतु राज्य सरकार को प्राप्त सहायता अनुदान से सम्बन्धित धनराशियों का समायोजन/पुस्तांकन कार्यालय महालेखाकार के स्तर पर होता है तथा पुस्तांकन से सम्बन्धित, कोषागरों के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होती है। वर्ष 2015-16 में विभिन्न कोषागारों द्वारा संकलित मासिक लेखा में लेखाशीर्षक 1601 केन्द्र सरकार से सहायता अन्य अनुदान–800 के अन्तर्गत ₹ **71,42,14,840/-** की धनराशि का पुस्तांकन किया गया है जोकि नियम के विरूद्व है।

ऐसी स्थिति में कोषागार द्वारा पुस्तांकित की गयी धनराशि में सम्बन्धित विभागों द्वारा गलत वर्गीकरण होने की प्रबल सम्भावनायें होती है।

(परिशिष्ट -10)

3.3.2 धनराशि ₹ 3.82 करोड की मूल्य वर्धित कर (VAT) राशि का गलत लघु–शीर्ष में लेंखाकन के सम्बन्ध में।

महालेखाकार नियंत्रक (CGA) भारत सरकार द्वारा दिनांक 29-08-2011 को निर्गत Correction Slip सं0 705 के अनुसार मूल्य वर्धित कर (VAT) की राशि का लेखांकन मुख्य लेखार्शीषक 0040- लघु शीर्षक 111 के अर्न्तगत कराना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कोषागार से अपेक्षित है कि मूल्य वर्धित कर (VAT) के रूप में प्राप्त राजस्व का लेखांकन/पुस्तांकन निर्धारित लेखा शीर्षक 0040-111 के अर्न्तगत सुनिशचित कराये। जिससे राज्य के लेखो में आंकडों का सही–सही खातो में अंकन सुनिशचित हो सके। कोषागार नरेन्द्रनगर के अभिलेखो की समप्रेक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट पत्रावली (Budget document) में उक्त लघु–शीर्षक 111 के नही खोलने के फलस्वरूप कोषागार द्वारा मूल्य वर्धित कर की प्राप्तियों का लेखांकन गलत लघु शीर्षक 0040-102 में किया है जो कि निर्धारित नियम के विपरीत हैं। कोषागार को चाहिए की प्रकरण में यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए मूल्य वर्धित कर की राशियों का निर्धारित लेखा शीर्ष 0040-111 के अन्तर्गत सुनिशचित करायें।

3.3.3 नई पेंशन योजना (NPS-2005) के अर्न्तगत Employers contribution के रूप में जमा किये गये अंशदान ₹ 177.95 करोड के गलत लेखा शीर्ष से debit करने के सम्बन्ध में ।

01-01-2005 के पश्चात् राज्य सेवा में कार्यरत/सेवारत कर्मचारियों के NPS के अर्न्तगत कटौतियों Defined contribution scheme के अनुसार सुनिशचित कराना निर्धारित हैं। इस योजना के अनुसार कर्मचारियों से 10% वेतन + DA के बराबर की राशि एवं इसी राशि के बराबर Matching राशि के रूप में employers के contribution सहित सम्पूर्ण राशि को प्रधिकृत निधि मैनेजर (Designate Fund Manager) को NSDL के माध्यम से स्थानातरित किया जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि कर्मचारियों के अशंदान एवं Employers के Matching Amount का पुस्तांकन लेखा शीर्षक 2071-117 के अर्न्तगत किया जाये। निरीक्षण में पाया गया कि राज्य के कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नही करते हुए NPS की समर्पूण राशि का लेखांकन कर्मचारी के सुसंगित लेखाशीर्ष के अर्न्तगत वेतन मद में आवटित बजट राशि के Gross amount से घटाया जाता है। जबकि नियमानुसार कर्मचारी के NPS अंशदान की मासिक कटौती सम्बन्धित विभाग के सुसंगित लेखा

शीर्ष तथा employers के Matching राशि की कटौती लेखाशीर्ष 2071-117 में होनी चाहिए।

(परिशिष्ट -11)

3.3.4 TR-24 से आहरित वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 की राशि क्रमशः ₹4,34,91,000/- तथा ₹ 2,58,31,782/- का समायोजन न किया जाना।

कोषागार टिहरी में व्यवस्थित TR-24 पंजिका के अनुसार लेखाशीर्ष 2245-00-800-13 के अन्तर्गत जिलाधिकारी टिहरी द्वारा वर्ष 2013-14 के माह सितम्बर 2013 को ₹ **4,34,91,000/-** तथा वर्ष 2014-15 को ₹ **2,58,31,782/-** TR-24 के माध्यम से आहरित किया। कोषागार के स्तर से TR-24 के माध्यम से विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आहरित धनराशि के अन्तिम समायोजन सुनिश्चित कराने हेतु कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती हैं तथा यह निगरानी TR-24 पंजिका के माध्यम से कोषागार स्तर से रखी जाती हैं। उक्त पंजिका में आहरित धनराशि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरण जैसे आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम, शीर्ष, बजट प्रावधान, TR-24 से निकासी व्यय तथा TR-24 से निकासी का समायोजन अंकित होना चाहिए। कोषागार स्तर पर उक्त विवरण स्पष्ट न होने के कारण TR-24 से आहरित वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 को राशि क्रमशः ₹ **4,34,91,000/-** तथा ₹ **2,58,31,782/-** का समायोजन स्पष्ट नहीं हो पा रहा हैं।

इंगित करने पर कोषागार द्वारा उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2013-14 में अवशेष धनराशि ₹ **2,58,31,782/-** का समायोजन अवशेष है जिसके समायोजन हेतु सम्बन्धित विभाग को पत्र प्रेषित कर दिए गए है। उत्तर संतोषजनक नही हैं क्योंकि इंगित राशियां TR-24 पंजिका में अब भी असमायोजित दिखाई गई हैं। तथा कोषागार द्वारा बताई गई अवशेष राशि ₹ **2,58,31,782/-** वर्ष 2013-14 के समायोजन हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.5 e-भुगतान प्रणाली में Failed-Transaction को पुनः upload करने में विलम्ब।

वर्तमान में लागू e-भुगतान प्रणाली एवं Improved Computer technology व्यवस्था की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए कोषागार से अपेक्षित है कि सर्वप्रथम Transaction के विफल होने के कारणों के अन्तिम रूप से दूर-समाधान करने के प्रयास करे यदि फिर भी किसी कारणवशं कोई Transaction विफल हो जाती है तो उस transaction को पुनः तत्काल upload कराने की व्यवस्था एवं Mechanism को सदृढ करे जिससे e-भुगतान प्रणाली व्यवस्था के लाभो जैसे लाभार्थियों के खातो में तत्काल धनराशि का स्थानान्तरण/आदि की पूर्ति हो सके। यदि Computer System में कोई खामी हो जिसके कारण transaction प्रायः विफल हो जाती हो तो System से सम्बन्धित इन खामियों के निस्तारण-समाधान हेतु कोषागार एवं उच्च अधिकारियों के स्तर पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। Transaction के विफल होने का मुख्य कारण कोषागार द्वारा Network का नही रहना बताया गया है तथा ऐसे failed Transaction को पुनः upload करने की व्यवस्था CTS के अन्तर्गत चार दिनों के पश्चात ही प्रदान की गई हैं। तात्पर्य यह है कि failed transactions को 4 दिनो के पश्चात् ही upload कराने का option है। इस प्रकार में से Computer- CTS प्रणाली में कमियों के कारणवशं e-भुगतान प्रणाली के लक्ष्यों की पूर्ति नही हो पा रही है। यानि भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थियों को चार (4½ दिनों के पश्चात् ही लाभ की प्राप्ति होती हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां एक ओर से लाभार्थियों को लाभ मिलने से वाछिंत रहना पडता है वही दूसरी ओर से लाभार्थियों द्वारा किये गये विभाग के विरूद्व RTI एवं Court cases की सम्भवता रहती है। 29-02-16 को कोषागार रूड़की में रू 3,84,616/- की Transaction fail हुई है।

3.3.6 e-भुगतान प्रणाली Failed Transactions के कारणवश लाभार्थियों को लाभ से वांछित रखने के सम्बन्ध में।

ई–भुगतान प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे भुगतान सामायिक रूप से सुनिशचित कराना कोषागार की प्रथम प्राथमिकता होना निर्धारित है जिससे ऐसे भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को यथासमय लाभ की प्राप्ति हो सके। यदि किसी कारणवश ई–भुगतान का स्थानानातरण विफल (Fail) हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कोषागार का यह दायित्व है कि ऐसी विफल Transactions के पुनः तत्काल upload सुनिशचित कराये तथा किसी भी परिस्थिति में Failed Transaction को दुबारा खाता धारको के खातों में स्थानान्तरण हेतु Pending नही रखा जा सकता हैं। ऐसा करने से जहाँ एक और खाता धारकों को लाभ से वछिंत रहना पडता हैं वही दूसरी ओर से खाताधारको के RTI या न्यायालय प्रकरण की सम्भावनाएं बढ़ती है। अभिलेखो की जांच में पाया गया कि **परिशिष्ट -12** में अंकित प्रकरणों में लगभग 3 से अधिक महीनो के समय बीत जाने के पश्चात् भी Failed Transactions को पुनः खाते धारको के खातो में भुगतान नही किया हैं।

(परिशिष्ट -12)

3.3.7 कोषागार द्वारा उपलब्ध साख सीमा से ₹ 14.92 करोड अधिक व्यय अभिलेखों में दर्शाया जाना।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोषागारों द्वारा निर्माण कार्यदायी संस्थाओं को जारी साख सीमा का नियन्त्रण कार्य पूर्ण रूप से सौंप दिया गया था, कोषागारों का दायित्व था कि वे किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध साख सीमा से अधिक भुगतान न होने दें। इसके लिए कम्प्यूटरीकृत पद्धति में आवश्यक Checks (निरोधक उपाय) का प्रावधान करें।

Input-7 के अवलोकन में पाया गया कि लघु डाल खंण्ड अल्मोडा के पास उपलब्ध साख सीमा ऋणात्मक थी। फिर भी खण्ड को भुगतान हुआ। कोषागार ने अपने उत्तर में बताया कि साख सीमा के विरूद्व व्यय पूर्व में अवशेष साख सीमा से हुआ। साख सीमा का निगर्मन त्रैमासिक होता है और त्रैमास में अवशेष साख सीमा Lapse हो जाती है। इसलिये पूर्व अवशेष नहीं होना चाहिए।

ऋणात्मक व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः–

खण्ड का नाम	उपलब्ध साख सीमा	कुल व्यय	अवशेष
PMGSY खण्ड, अल्मोडा	1587000	1769144	(-)182144
PMGSY निर्माण खण्ड, अल्मोडा	933000	1265003	(-)332003
PMGSY सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोडा	6918000	8847055	(-)1929055
निर्माण खण्ड 2 अल्मोडा	47400000	53318361	(-)5918361
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोडा Code 1856	15955858	47358663	(-)31402805
निर्माण खण्ड अल्मोडा Code 1629	28153858	82366027	(-)54212169
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा	10533263	46368166	(-)35834903
वन विभाग, अल्मोडा Code 3035	998000	15328746	(-)14330746
सिविल सोयम	3207000	6038319	(-)2831319
Soil Conservation	3228400	5433400	(-)2205000
			14,91,78,505

3.3.8 त्रैमासिक नगद साख सीमा के उपयोग अवधि के अनुचित विस्तार से वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में ₹ 1.26 करोड की अनयंत्रित धन निकासी (Rush of Expenditure)

बजट आवंटन एवं बजट अनुशासन (Discipline) के मूल–भूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित समयावधि के पश्चात् अवशेष धनराशि का शासकीय खातों में प्रत्यार्पण करना अनिवार्य है। नगद साख सीमा के अर्न्तगत अवमुक्त करायी गई धनराशि की उपयोग अवधि त्रै–मासिक होने के कारण त्रै–मास के अन्त में अवशेष राशि का इस प्रकार के शासकीय खातों में प्रत्यार्पण करना आवश्यक होता है। साख सीमा की उपयोग अवधि का अनुचित तथा अनावश्यक रुप से विस्तार करने से शासकीय धनराशि का दुरुपयोग होने की प्रबल सम्भावनाएं होती है। तथा प्रायः विभागों द्वारा साख–सीमा की उपयोग अवधि का विस्तार केवल आवंटित धनराशि को व्यय न करने की स्थिति में शासकीय खातें में प्रत्यार्पण की स्थिति से बचने के उद्देश्य से किया जाता है।

अतः शासन एवं कोषागार स्तर से साख–सीमा का विस्तार केवल विशेष परिस्थियों में प्रदान करने हेतु निगरानी की आवश्यकता होती है।

निरीक्षण में पाया गया कि विभागों की साख सीमा का विस्तार विशेषकर चतुर्थ त्रै–मास में उपयोग करने हेतु विशेष परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जाता है तथा उपयोग अवधि का विस्तार As a Routine Affair के रुप में किया जाता है। फलस्वरुप वित्तीय वर्ष के अन्त में विशेषकर मार्च के महीने में इन विभागों द्वारा प्रत्यार्पण से बचने हेतु अनावश्यक रुप से धन निकासी की जाती है और इस प्रकार आहरित धनराशि का विभागों द्वारा, बैंक खातों में/दुरुपयोग होने की प्रबल सम्भवनाएं होती है।

क्रम संख्या	विभाग/खण्ड	उपयोग अवधि के विस्तार का दिनांक	उपभाग दिनांक पर अवशेष धनराशि	मार्च के माह में निकासी
1	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर चमोली	16-03-2015 02-03-2015 शासन	₹ 1,18,53,470/-	₹ 1,13,57,430/– इसमें से 31/03/2015 को आहरित धनराशि रु 91,20,320/–
2	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, चमोली	27-03-2015 24-03-2015	₹ 24,64,410/-	₹ 12,70,190/- इसमें से 31.03. 2015 को आहरित धनराशि रु 12,34,580/-
		योग		**₹1,43,17,880/-**

3.3.9 कोषागारों द्वारा बैंकों को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सूचित करना।

सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 के समय से निर्गत न होने से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य किये जाने में अवरोध उत्पन्न होता है। नकद साख सीमा (C.C.L.)/जमा साख सीमा (D.C.L.) के निर्गत करने की वास्तविक सूचना सम्बन्धित बैंक शाखा को एवं विभागों अथवा खण्डों को तत्काल प्रेषित करना अनिवार्य है। कोषाागरों के निरीक्षण में पाया गया कि **02 दिन** से **34 दिन** तक विलम्ब से कोषागारों द्वारा सूचनायें दी गयी।

(परिशिष्ट–13)

3.3.10 पी0एल0ए0 खातो से ₹ 26.37 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी।

व्यक्तिक लेखा खातों के खोलने की सुविधा/सृजन का उद्देश्य/ प्रयोजन आहरण–वितरण अधिकारी को सरकारी समयबद्ध योजनाओं के कार्यान्व्यन हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना है। इसी प्रकार व्यक्तिक खातों का वास्तविक उद्देश्य विभागीय अध्यक्षों को सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में गति प्रदान करना है।

उक्त प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिक लेखा खातों से आहरण केवल तत्काल आवश्यकता में तथा निर्धारित कार्यो के निष्पादन के लिए बिल के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार कोषागार स्तर पर पी0एल0ए0 खातों में जमा धनराशि को आहरित करते समय अत्यन्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। परन्तु प्रायः यह पाया गया है कि इन खातों की सुविधा के प्रयोजन का उल्लंघन हो रहा है जिसके कारण इन खातों का काफी दुरूपयोग हुआ है। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया की कोषागार स्तर पर पी0एल0ए0 धारकों द्वारा **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर खातों से धन निकासी पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही है। ऐसी स्थिति में **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर आहरित धनराशि पी0एल0ए0 धारकों द्वारा आहरित धनराशि का अनावश्यक रूप से बैंक में जमा की जाती है तथा इस स्थिति में शासकीय राशियों के दुरूपयोग होने की प्रबल सम्भावनायें होती है। वर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत खाता धारकों द्वारा **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर धनराशि **₹ 26,37,31,976/-** का आहरण किया गया जिससे कोषागार के स्तर पर अत्यन्त निगरानी का अभाव सिद्ध होता है। राज्य की अर्थव्यस्था सुदढ़ बनाये रखने हेतु कोषागार के स्तर पर व्यक्तिक खातों से **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर अनियंत्रित निकासी पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

(परिशिष्ट –14)

3.3.11 पी0एल0ए0 खातों में जमा धनराशियों ₹ 104.30 करोड का अनावश्यक अवरुद्व रहना।

कोषागार देहरादून के वित्तीय वर्ष 2014-15 की पी0एल0ए0 खातों सम्बन्धित अभिलेखों की जांच से प्रकाश में आया कि उक्त कोषागार में आंशिक ऐसे पी0एल0ए0 खाता धारक भी हैं, जिनके पी0एल0ए0 खाता खोलने/अन्तिम नवीनीकरण लगभग दस वर्ष पुराना है। कुछ उक्त खातों में लेन देन भी लगभग आठ पूर्व वर्ष ही हुआ है। ऐसे खातों में अवशेष धनराशियां भी अवरुद्व पड़ी हुई है। ऐसी धनराशियों का उपयोग न होने के कारण सम्बन्धित वित्तीय वर्षो का बजट प्रभावित हुआ है, और धनराशियाँ भी अनावश्यक अवरुद्व हुई है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 में उल्लेखित निर्देशों एंव शासन द्वारा समय–2 पर निर्गत सम्बन्धित शासनादेशों के अनुरुप ही पी0एल0ए0 खातों का संचालन कोषागार पर किया जाता है। पी0एल0ए0 खाता धारकों द्वारा ऐसी धनराशियों अवरुद्व रखने से पार्किग आंफ फण्ड की सम्भावना प्रबल हो जाती है। जो किसी भी राज्य की स्वस्थ वित्तीय स्थिति के लिए उचित नहीं है। ऐसे पी0एल0ए0 धारकों का विवरण निम्न है।

पी0एल0ए0 खाताधारक वित्तीय वर्ष 2014-15					
क्रम सं0	खाता धारक (पद नाम)	खाता खोलने/ नवीनीकरण का दिनांक	मुख्य लेखा शीर्ष	अन्तिम लेन देन दिनांक	अन्तिम शेष की धनराशि (रु में)
1	निदेशक, राजा जी	21.04.2005	8229-200	23.05.2007	20,000

	नेशनल पार्क देहरादून				
2	अतिरिक्त सी.ई.ओ. एण्ड एफ सी यू के. के.बी.आई.बी. देहरादुन	21.01.2010	8443-800	31.03.2014	6,26,38,692
3	जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून	15.09.2014	8443-106	31.03.2014	87,49,35,160
4	एफ.सी.यू.के., परिवहन निगम, देहरादून	14.05.2015	8443-800	31.03.2014	10,00,00,000
5	गढ़वाल मण्डल विकास निगम, (जी एम वी एन)	04.06.2014	8443-800	29.03.2008	54,06,156
				योग–	**1,04,30,00,008**

3.3.12 प्राप्तियों की अनुसूची (SOR) में 15 अंकीय वर्गीकरण का अंकन न होना से सम्बन्धित विवरण

प्राप्ति से सम्बन्धित लेखा अभिलेखो की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चालानो में वर्गीकरण 13-15 अंको का न करके केवल मुख्यलेखाशीर्ष अथवा लघुशीर्षक तक या त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण किया जाता है, जिस कारणवश पोस्टिंग रजिस्टर में अंकित वर्गीकरण एवं चालान में अंकित वर्गीकरण में भिन्नता रह जाती है। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा चालानों पर 15 अंकों वाले वर्गीकरण अंकित करने के पश्चात् कोषागारों द्वारा अपने सिस्टम में फीडिंग करते समय 15 अंकीय वर्गीकरण सम्भव नहीं हो पा रहा है। सत्यापन पर यह पाया गया कि कोषागार सिस्टम में कुछ तकनीकी समस्या के कारण 15 अंकीय वर्गीकरण सम्भव नही हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में धनराशियाँ का सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा नहीं हो पाती जिसके कारण कार्यालय महालेखाकार, लेखा एवमं हकदारी द्वारा बनाये जाने वाले वित्तीय लेखो में पारदर्शिता एवं शुद्धता बाधित होती है।

(परिशिष्ट -15)

3.3.13 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निर्धारित निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 469(ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उनके द्वारा एत्दर्थ प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए। दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के परिशिष्ट 21 के अनुसार हर वर्ष में जिला कोषागार का निरीक्षण एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस निरीक्षण के करने की उस वर्ष में, जिसमें विभाग के लेखा अधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण किया जा चुका हो आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण ऐसे समय से हो कि उसकी निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति उस समय उपलब्ध रहे जब आयुक्त कोषागार के निरीक्षण के लिये आये।

वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया था।

(परिशिष्ट -16)

3.3.14 धनराशि ₹ 56,500/- का अनियमित (Irregular) व्यय।

निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/शासनादेश 2088/24(39)/ एम0एम0पी0(टी0)/प्रवि0/ नि0को0वि0से0/ 2013 दिनांक 25-03-2014 के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 इलेक्ट्रो इक्यूपमेंट, रूड़की द्वारा जेनरेटर को सीधे उप–कोषागार पाखरी में आपूर्ति कराना एवं Install कराना निर्धारित था। परन्तु लेखो की जांच में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता ने उक्त जेनरेटर, उप–कोषागार में सीधे आपूर्ति नहीं की, बल्कि जेनरेटर को मुख्य मार्ग पर उतार कर, मुख्य मार्ग से उप–कोषागार कार्यालय में, (550 मीटर) पहुॅचाने हेतु ढुंलाई (Transportation) चार्ज के रूप में रू 56,500/- का बिल प्रस्तुत करके भुगतान प्राप्त किया। इस प्रकार उक्त शासनादेश की शर्त को दृष्टिगत रखते हुए रू 56,500/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया, जो कि शासनादेश की शर्तो को विरूद्ध है, जिसमें आपूर्तिकर्ता को जेनरेटर को सीधे उप–कोषागार, पोखरी कार्यालय में पंहुचाना अनिवार्य था। यद्यपि निदेशक कोषागार द्वारा तत्पश्चात् उक्त राशि का बजट प्रावधान कराया गया, परन्तु बजट प्राप्त करने सम्बन्धी उपकोषागार के स्तर से कोई भी प्रस्ताव निदेशक कार्यालय को नहीं भेजा गया। अतः बजट आंवटन सहित निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही किया गया।

3.3.15 कोषागारों/उपकोषागारों में कालातीत सा0भ0नि0 के प्राधिकार पत्रों का निस्तारण न किया जाना।

कार्यालय महालेखाकार द्वारा निर्गत सामान्य भविष्य निधि भुगतान प्राधिकार पत्रों पर नियमानुसार 6 महीने की समय अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना निर्धारित है। यदि किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में भुगतान सम्भव नही हो पाता तथा प्राधिकार पत्र कालातीत हो जाते है तो ऐसी स्थिति में सभी कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून को अभुगतान प्रमाण पत्र के साथ पुर्नभुगतान हेतु वापस किये जाने चाहिए, साथ ही कोषागार स्तर से सम्बन्धित विभागों को प्राधिकार पत्रों के बिल प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, परन्तु विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि परिशिष्ट 16 में दर्शाये गए प्रकरणों में कोषागार द्वारा ना तो भुगतान ही कराया गया और ना ही ऐसे कालातीत हुए प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार का वापस किया गया।

(परिशिष्ट –17)

3.3.16 सामान्य भविष्य निधि /नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशनरस/ कर्मचारियों के वेतन से अंशदान एवं सरकारी अंशदान की कटौती न किया जाना।

नई पेंशन स्कीम के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + ग्रेडपे + डी0ए0) का 10 प्रतिशत कटौती करके उतनी ही राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम के खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नव नियुक्ति सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय

ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके '' खाता संख्या'' का आंवटन करायें। परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी परिशिष्ट 17 में दर्शाये गए प्रकरणों में नई पेंशन स्कीम की राशि न तो कर्मचारियों से काटी जा रही है और न ही सरकारी अंशदान जमा किया गया है।

इसी प्रकार सामान्य भविष्य निधि के नियमानुसार कर्मचारियों/अधिकारियों के शासकीय सेवा में आने के 01 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सा0भ0नि0 अंशदान की कटौती का किया जाना अनिवार्य है परन्तु उपकोषागार के वेतन बिल के निरीक्षण में पाया गया है कि कर्मचारियों के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नहीं काटा जा रहा है।

(परिशिष्ट -18)

3.3.17 वेतन मद के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष– Adverse Balance

वर्तमान में लागू CTS प्रणाली के अनुसार किसी भी मद के अन्तर्गत व्यय तभी पारित होगा। यदि उस मद के अन्तर्गत पर्याप्त बजट हो यदि बजट पर्याप्त नही है तो CTS प्रणाली द्वारा ऐसे व्यय को पारित नही किया जाता है। सामन्य वित्तीय नियम के अनुसार भी शासकीय खातों से आहरण/व्यय बजट की उपलब्धता पर निर्भर है अतः व्यय करने से पूर्व यह सुनिशचित कराना अतिआवश्यक है कि प्रस्तावित व्यय के विरूद्व बजट की उपलब्धता हो तथा किसी भी परिस्थिति में किसी भी मद में प्रतिकूल अवशेष नही हो। परन्तु कोषागार रूड़की के अभिलेखों की जांच (Test) में पाया गया CTS प्रणाली के अन्तर्गत general Budget Register में प्रतिकूल अवशेष दर्शाता है। प्रथम दृष्टिया यह त्रुटि सम्भवतः System से समबन्धित है तथा कोषागार से अपेक्षित है कि उक्त त्रुटियों के निस्तारण हेतु समुचित उपाय करें।

(परिशिष्ट -19)

3.3.18 पुलिस अधीक्षक कार्यालय के वेतन बिलों पर 9300-34800 में ग्रेड वेतन 4200, 4600 एवं 4800 पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सा0भ0नि0 का रखरखाव चतुर्थ श्रेणी में किया जाना।

उत्तराखण्ड सा0भ0नि0 नियमानवली 2006 के नियम 2(1)(क) के अनुसार द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के सा0भ0नि0 का रखरखाव महालेखाकार के स्तर पर किया जाना निर्धारित है। परन्तु बागेश्वर कोषागार के निरीक्षण में पाया गया कि कोषागार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के वेतन बिलों पर 9300-34800 में ग्रेड वेतन 4200, 4600 एवं 4800 पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सा0भ0नि0 का रखरखाव चतुर्थ श्रेणी में किया जा रहा है जोकि नियम विरूद्व है। उल्लेखनीय है कि IPAO प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार के सभी विभागों के वेतन सम्बन्धित DDO पावर कोषागार के पास है। अतः कोषागारों से अपेक्षित है कि सम्बन्धित विभाग से उक्त कर्मचारियों के सा0भ0नि0 खाता संख्या प्राप्त करके मासिक कटौतियों का विवरण कार्यालय महालेखाकार को मासिक आधार पर प्रेषित करें।

3.3.19 त्रुटिपूर्ण लेखो (Misclassification) के संशोधित लेखे (Correction of Accounts) नहीं भेजने के सम्बन्ध में।

निर्धारित नियमानुसार मासिक लेखों के संकलन में कोषागार/विभागों के स्तर से यदि किसी लेन–देन (Transaction) के लेखांकन में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण होता है, तो ऐसे लेन–देनके सही वर्गीकरण हेतु आपेक्षित है कि कोषागार कार्यालय

महालेखाकार को ऐसे ट्रांजक्सन का Correction of Accounts तत्काल प्रेषित करें, जिससे राज्य के मासिक लेखों में आंकडों का सही अंकन हो।

परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि कोषागार द्वारा मासिक लेखों में लेखाशीर्षक 1601-04-800-79-02 में त्रुटिपूर्वक लेखांकन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

कोषागार द्वारा वर्तमान में चल रहे निरीक्षण दिनांक तक उक्त त्रुटि से सम्बन्धित Correction of Accounts कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित नहीं किये गये, जिससे राज्य के मासिक लेखो की शुद्धता (Correctness) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

माह	लेखाशीर्षक	धनराशि (रूमें)
12/2013	1601-04-800-79-02-00	9,30,600
01/2014	1601-04-800-79-02-00	38,773
02/2014	1601-04-800-79-02-00	2,19,710
10/2013	1601-04-800-79-02-00	1614
07/2013	1601-04-800-79-02-00	1275
03/2014	1601-04-800-79-02-00	81,129
03/2014	1601-04-800-79-02-00	1,168
योग		**12,74,269**

3.3.20 अनियमित बजट आवंटन/अवमुक्त

बजट प्रबन्धन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमण्डल द्वारा विगत्त प्राकलन प्रधिकारियो (Estimating Aothority) की वार्षिक मॉग– Demands for Grants के आधार पर सर्म्पूण वित्तीय वर्ष के लिए बजट पारित/स्वीकृत किया जाता है तद्पश्चात पारित बजट को सम्बन्धित प्राकलन प्राधिकारियों को अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सर्म्पूण वर्ष का बजट आवमुक्त कराने हेतु प्रेषित किया जाता हैं। तात्पर्य यह है कि नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को हर वर्ष के व्यय हेतु एक बार में बजट आवंटन कराया जाना निर्धारित है। यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी भी मद के अन्तर्गत वर्ष में आंवटित बजट कम पड़ता है तो अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन करके विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक बजट (Supplementry Budget) के रूप में पुनः अतिरिक्त बजट पारित किया जाता है तथा नियन्त्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है। अतः उक्त बजट अनुशासन को दृष्टिगत रखते हुए यह बजट नियन्त्रक अधिकारियों का दायित्व हैं, कि शासन द्वारा आवंटित बजट राशि को एकमुश्त पूरे वर्ष के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारियों को व्यय हेतु आवमुक्त करायें।

कोषागार रूड़की के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि कुछ बजट नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा उक्त निधार्रित प्रक्रिया के विपरीत मासिक आधार पर बजट आवटंन किया जाता हैं। वर्ष 2014-15 में मासिक आधार पर बजट आवमुक्त ऐसी नियन्त्रक अधिकारियों के प्रकरण निम्नवत है। उल्लेखनीय यह है उक्त बजट आवटंन वेतन मद से समबन्धित है।

क्रम सं0	वित्त नियन्त्रक एव आहरण वितरण अधि0 का नाम	आवमुक्त राशि (रूमें)	दिनांक	मद
1	Head Master GHSS Landora	7,50,000	01.06.2015	वेतन
		7,50,000	21.07.2015	वेतन
		4,32,000	07.11.2015	वेतन
		1,50,000	30.01.2016	वेतन
		2,09,540	25.02.2016	वेतन

2	Principal GGIC Baggawala	16,00,000	01.06.2015	वेतन
		9,00,000	25.08.2015	वेतन
		7,00,000	05.11.2015	वेतन
		49,000	11.01.2016	वेतन
		21,54,450	19.02.2016	वेतन
3	Dy. Education officer (elementry)	5,00,00,000	18.05.2015	वेतन
		2,00,00,000	08.07.2015	वेतन
		1,00,00,000	16.10.2015	वेतन
		30,00,000	30.11.2015	वेतन
		1,50,00,000	18.12.2015	वेतन
		40,00,000	31.12.2015	वेतन
		60,00,000	27.01.2016	वेतन

नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन के तौर पर मासिक आधार पर बजट आवमुक्त कराने की परम्परा जहाँ एक ओर से बजट प्रबन्धन/अनुशासन के विरूद्व है वही दूसरी ओर मासिक वेतन वितरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं।

3.3.21 ₹ 3.58 लाख के लागत के निर्माण कार्य में अपूर्णताएं।

कोषागार द्वारा सदर कोषागार चमोली के भवन में अभिलेख कक्ष के निर्माण एवं रंग–रोगन/मरम्मत हेतु दिनांक 30.02.2015 को लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर को लेखाशीर्ष में धनराशि रु 3,58,000/– जमा कराए गयें, तथा लोक निर्माण विभाग को उक्त निर्माण एवं अन्य कार्य दिनांक 31.03.2015 तक आवश्यक रुप से पूर्ण करने हेतु एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया।

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण अपूर्णतांए पाई गई जिससे निर्माण एवं अन्य कार्यो का निर्धारित मानक के अनुसार कराए जाने की वास्तविक रुप से पुष्टि नहीं हो रही है।

महत्वपूर्ण अपूर्णताएँ

1. निर्माण कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी "कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र" (Completion Certificate) पत्रावली में नहीं पाया गया।
2. कार्यदायी संस्था (लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, चमोली) द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् Handover Certificate निर्गत नहीं किया गया।
3. निर्माण कार्य एवं रंग–रोगन वास्तव में मानक एवं समझौता ज्ञापन के शर्तो के अनुरुप कराया गया का प्रमाण पत्र, पत्रावली में नहीं पाया गया।
4. यदि कोषागार द्वारा यह पाया गया कि निर्माण एवं अन्य रंग–रोगन कार्य निर्धारित शर्तो के अनुसार नहीं कराया गया, तो इससे सम्बन्धित आपत्तियों का पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

3.3.22 निर्माण कार्य सस्थाओं के प्रेषण शीर्ष से सम्बन्धित धनराशियों का गलत वर्गीकरण।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं जिनमें लोक निर्माण विभाग, मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा सम्मिलित है से सम्बन्धित सभी प्रेषण लोक निर्माण विभाग प्रेषण के नाम से जाने जाते है जिनका वर्गीकरण भी लोक निर्माण विभाग के प्रेषण शीर्ष "8782-00-102" के अन्तर्गत किये जाने चाहिए।

विभिन्न कोषागारों (पिथौरागढ़, हल्द्वानी एवं बागेशवर) के मासिक लेखा अभिलेखों की जांच से संज्ञान में आया कि निर्माण कार्य विभागों से सम्बन्धित

धनराशि जो कोषागार में प्रेषण की जाती है, को कोषागार में सम्बन्धित प्रेषण शीर्ष 8782-00-102 में लोक निर्माण विभाग का प्रेषण दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त अन्य विभागों का प्रेषण क्रमशः मुख्य एवं मध्यम सिंचाई विभाग के प्रेषण 8782-00-108-01, ग्रामाणी अभियन्त्रण सेवा विभाग के प्रेषण 8782-00-108-02, एवं लघु सिंचाई विभाग के प्रेषण 8782-00-108-03 के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा है।

निरीक्षण में इंगित किए जाने पर कोषाधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्राप्ति/भुगतान से सम्बन्धित समस्त लेखाशीर्षक निदेशालय डाटा सेन्टर द्वारा दिये गये साफ्टवेयर के अनुसार सम्बन्धित विभागों के अनुसार जमा धनराशि का अंकन कोषागार द्वारा किया जा रहा है।

3.3.23 ₹ 1,70,000/- की कम्प्यूटर स्टेशनरी के क्रय में सक्षम अधिकारी की संस्तुति नहीं लेने के सम्बन्ध में।

निर्धारित नियमानुसार विभागीय उपयोग हेतु यदि किसी लेखन सामग्री एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी के क्रय करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम उक्त आवश्यक सामग्री की Requirement का आकलन किया जाता है, तत्पश्चात् विभागीय अध्यक्ष से उक्त सामग्री के क्रय करने हेतु प्रशासनिक संस्तुति एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात् ही प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश अथवा आपूर्ति से सम्बन्धित पत्र निर्गत किया जाता है।

कोषागार द्वारा वर्ष 2014-15 में ₹1,70,000/- के मूल्य की कम्प्यूटर स्टेशनरी से सम्बन्धित विभागीय अध्यक्ष (कोषाधिकारी) की पूर्व प्रशासनिक संस्तुति (Prior Administrative approval) एवं व्यय की स्वीकृति (Sanction of Expenditure) प्राप्त नहीं की गई है, जो कि वित्तीय नियम के विरुद्ध है।

3.4 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.4.1 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का एक अतिरिक्त दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों–पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारणवश सेवानिवृत्त लाभों का कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया। परिशिष्ट 20 में दर्शाये गए प्रकरणों में पेंशन, उपादान एवं राशिकरण के मद में ₹13,82,062/- एवं ₹ 42,59,100/- का अधिक या कम भुगतान क्रमशः किया गया।

(परिशिष्ट –20)

3.4.2 2198 सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को बैंक/डी0पी0डी0ओ0 को हस्तान्तरित ना करना।

नियन्त्रक रक्षा लेखा (सी0डी0ए0) पेंशन इलाहाबाद के पत्रांकः दिनांक 18.10.2006 के अनुसार सैनिक पेंशनरों का भुगतान कोषागार के स्थान पर सीधे बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करना था। इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार

उत्तराखण्ड देहरादून ने आदेश दिनांक 31.10.2006 के द्वारा भारत सरकार के रक्षा पेंशनरों (सैनिक पेंशन) को सीधे बैंकों को भेजने के निर्देश दिये है।

तत्पश्चात् रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (Defence Pension Dibursment Office) देहरादून द्वारा निर्देश दिया गया था कि पेंशन प्रकरणों को डी0पी0डी0ओ0 (Defence Pension Dibursment Office) के कार्यालय में हस्तान्तरित किया जाए। परन्तु कोषागारों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा **2198** सैनिक पेंशनरों के प्रकरण डी0पी0डी0ओ0 अथवा निर्धारित बैंक शाखा में हस्तान्तरित करना अभी भी अपेक्षित है।

(परिशिष्ट –21)

3.4.3 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से भुगतान करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा एक निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता राशि का भुगतान करने की व्यवस्था निर्धारित है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा राशि का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड रहा है तथा साथ ही निर्धारित नियम का उल्लघंन भी हो रहा है। कोषागारों द्वारा या तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान ही नहीं किया जा रहा है या यदि किया भी जा रहा है तो वो निर्धारित दर से कम किया जा रहा है।

(परिशिष्ट –22)

3.4.4 शासकीय कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरूप्स 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0अ0सा0नि0) अनुभाग-7 संख्या-419/XXVII(7)/2008 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 8(1) के अनुसार दिवंगत हुए सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी। कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त शासनादेंश का अनुपालन नही किया गया हैं। तथा बड़ी दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नही की हैं।

(परिशिष्ट –23)

3.4.5 छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को छठे वेतनमान द्वारा अनुमानित पेंशन का निर्धारण करना अनिवार्य था तथा उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए कोषागारों से अपेक्षित था कि निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन भुगतान नए पेंशन दर से भुगतान करें। परन्तु विभिन्न कोषागारों द्वारा निम्न तालिका में अंकित पेंशनरों के प्रकरणों में छठे वेतन आयोग के आधार पर पेंशन राशि का निर्धारण नहीं किया गया जिसके कारणवश सम्बन्धित पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की पेंशन वृद्वि से वंचित होना पड़ा।

(परिशिष्ट –24)

3.4.6 MLA पेंशन ₹56,000/- का त्रुटिपूर्ण अधिक भुगतान

उत्तराखंड शासन के विधायी एंव संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना दि. 01.05.2008 के अध्याय-11 की धारा 22(ग) अनुसार- जहां कोई व्यक्ति किसी भी सदन के सदस्य के रुप में किसी भी राज्य की विधान सभा या संसद के लिए निर्वाचित अथवा नाम निर्दिष्ठ किया जाये और ऐसा सदस्य बना रहे तो वह अधि–सूचना की धारा-20 के अन्तर्गत मिल रही पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा।

कोषागार देहरादून के निरिक्षण के दौरान श्री बी.सी.खण्डूरी भूतपूर्व विधान सभा सदस्य PPO No. VK/MLA/0059 GR No.C01535100 की पेंशन पत्रावली एवं वार्षिक पेंशन विवरण वर्ष 2014-15 की जांच से संज्ञान में आया कि श्री खण्डूरी का विगत वर्ष 2014 में संसद सदस्य चुने जाने के पश्चात भी माह सितम्बर–2014 तक MLA पेंशन रु 14000/- प्रतिमाह का भुगतान किया गया था, जो पैरा-1 में उल्लखित धाराओं का उल्लंघन है। उक्त धाराओं के अनुसार श्री खण्डूरी से ₹56000/- की पेंशन राशि वसूली योग्य थी, जो कि कोषागार स्तर से नही की गई निरीक्षण दल द्वारा प्रकरण संज्ञान में लाये जाने पर विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा को वसूली हेतु पत्र जारी कर दिया था लेकिन निरीक्षण तिथि तक वसूली नही की गई थी।

3.4.7 ₹ 5.15 लाख के मूल्य के बैंक ड्राफ्टस को विलम्ब से शासकीय खातों में जमा करने के सम्बन्ध में।

शासकीय देय धनराशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्टस को तत्काल शासकीय खातों में चालान द्वारा जमा करना आवश्यक है। अतः किसी भी स्थिति में शासकीय प्राप्तियों को अनावश्यक रूप से शासकीय खातों से बाहर नही रखा जा सकता हैं। अतः यह कोषागार का दायित्व है कि बैंक ड्राफ्टस के माध्यम से अर्जित/प्राप्त शासकीय राजस्व को तुरन्त शासकीय खातो में जमा करना सुनिशचित कराये। कोषागार के अभिलेखो की समीक्षा में पाया गया कि अधिक पेंशन वसूली सम्बन्धित प्राप्त बैंक ड्राफ्टस को कोषागार द्वारा विलम्ब से शासकीय खातो में जमा कराया गया हैं। निम्न तालिका में अंकित विवरण अनुसार विलम्ब की अवधि 27 दिनों से 73 दिनों तक की पायी गयी जो कि नियम के विपरीत हैं।

(परिशिष्ट-25)

3.4.8 स्त्रोत पर आयकर ₹19.95 लाख की कटौती का न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर-3 के अनुसार कोषागार सम्बन्धित पेंशनरों के स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र 16-ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराने का प्रावधान है परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। कोषागार के स्तर से न तो स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाती है और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष में कोई प्रमाण पत्र लिया जाता है। वर्ष 2015-16 में निरीक्षण दलों द्वारा जांचे गए प्रकरणों में आयकर के रूप में धनराशि ₹ **19,94,973/-** की कटौती नहीं किए जाने के तथ्य संज्ञान में आए है।

(परिशिष्ट-26)

3.5 जमा शीर्षों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.5.1 जमाशीर्ष में ₹ 3.91 करोड की जमा धनराशि को व्यपगत नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 पैरा –351 एवं पैरा 351 ए के नियमों के अनुसार विभिन्न जमाशीर्षों के अन्तर्गत सभी जमा धनराशियाँ जिनका भुगतान उनके जमा होने की दिनांक के तीन वर्ष के भीतर नहीं होता है, वे नियमानुसार शासन को निर्धारित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत व्यपगत किये जाने का प्रावधान है। निरीक्षण में पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा 03 वर्ष से अधिक जमा धनराशि **₹3,91,30,425 /-** को व्यपगत नहीं किया गया था जो कि निर्धारित नियमों का उलंघन है।

(परिशिष्ट –27)

3.5.2 जमा शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष।

निर्धारित नियम अनुसार जमा शीर्ष के अन्तर्गत किसी भी स्थिति में कभी प्रतिकूल अवशेष (Adverse Balance) नही होना चाहिए अतः कोषागार से अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित कराये कि किसी भी परिस्थिति में विभिन्न जमा शीर्षा के अन्तर्गत जमाकर्ता द्वारा जमा करायी गयी जमा राशियों का अवशेष Closing Balance Adverse नही हो। कोषागार रूड़की के निरीक्षण में पाया गया कि कुछ जमा शीर्षको के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष परिलक्षित हुयी है जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमता हैं।

(परिशिष्ट –28)

3.5.3 धनराशि ₹10,000/- की लैप्स जमा का भुगतान (Refund) गलत लेखाशीर्षक में।

निर्धारित नियमानुसार जमा राशियों (Civil court) का भुगतान यदि 03 वर्ष की समयावधि के भीतर नही किया जाता है तो ऐसी जमा राशि को शासकीय खाते में लैप्स किया जाना होता है तत्पश्चात इसकी भुगतान (Refund) महालेखाकार कार्यालय की स्वीकृति आदेश एवं स्तर पर शासकीय खाते 0070-800 में जमा किया जाता है निर्धारित नियमानुसार लैप्स राशियों का समायोजन महालेखाकार कार्यालय के स्तर पर T.E. द्वारा लेखा शीर्ष 0075-800 के अन्तर्गत किया जाता है चूकि उक्त समस्त लैप्स राशि का स्थानान्तरण लेखा शीर्ष 8443-104 से 0075-800 में किया जाता है तो ऐसे लैप्स राशि के भुगतान (Refund) लेखा शीर्ष 2075-800 के आधीन होना निर्धारित है। परन्तु रूडकी कोषागार के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि कोषागार द्वारा 03-09-2014 में ₹10,000/- की Civil Court लैप्स राशि का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्ष 2075-800 से नही करते हुए यह भुगतान (Refund) लेखा शीर्ष 8443-104 से किया जो कि नियम विरूद्व है। कोषागार से अपेक्षित है कि उक्त गलती के सुधारीकरण करने हतु समुचे प्रयास करे तथा भविष्य में Civil court लैप्स राशियों का त्मनिदक उक्त वर्णित लेखा शीर्ष में ही सुनिशचित कराये। ₹ 10,000/- के Correction of Accounts तत्काल रूप से कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित करें।